संख्या–2455 / ।।–2010–03(02) / 10

प्रेषक,

एस0एस0 टोलिया,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई अनुभाग देहरादून : दिनांक 07 अक्टूबर, 2010

विषय : **वित्तीय वर्ष 2010–11 में आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत अबचनबद्ध मदों में धनावंटन।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रसंख्या 2667 / मु0अ0वि0 / वि0नि0 / सी–2 डी अधि0 दिनांक 12.08.2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष आयोजनेत्तर पक्ष में अबचनबद्ध मदों के लिए **संलग्नक–1 में अंकित विवरणानुसार ₹ 36.00 लाख (₹ छत्तीस लाख मात्र)** की धनराशि वर्णित अनुदान / लेखाशीर्षकों के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तो के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. उक्त स्वीकृति के अधीन आहरण एवं व्यय से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका, बजट मैनुअल और उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के सुसंगत प्राविधानों एवं वित्तीय नियमों एवं मितव्ययता सम्बन्धी समस्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।
2. स्वीकृति की प्रत्याशा में उपरोक्त धनराशि से अधिक का व्ययभार किसी भी दशा में सृजित न किया जाय। व्यय करते समय वित्त विभाग के पत्रांक 187 / XXVII(1) / 2010 दिनांक 30 मार्च, 2010 में इंगित निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित की जाय।
3. स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र विचलन कदापि न किया जाये। प्राविधानों एवं नियमों का अनुपालन न करने तथा स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र विचलन करने पर सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
4. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष प्रतिमाह व्यय की सूचना निर्धारित प्रपत्रों पर वित्त विभाग, महालेखाकार एवं शासन को ससमय उपलब्ध करायी जाय।
5. धनराशि का आहरण / व्यय आवश्यकतानुसार एवं मितव्ययता को ध्यान में रखकर किस्तों में किया जाय।
6. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2010–11 में अनुदान संख्या–20 के अन्तर्गत संलग्नक–1 में वर्णित शीर्षकों / उपशीर्षकों के अन्तर्गत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–511 / XXVII(2) / 2010 दिनांक 30 सितम्बर में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न : यथोक्त।

भवदीय,

(एस0एस0 टोलिया)
अनु सचिव।

क्रमशः.....2

शासनादेश संख्या–2455/ ।।–2010–03(02)/10, दिनांक 07 अक्टूबर, 2010 का संलग्नक

(धनराशि लाख ₹ में)

क0 सं0	लेखाशीर्षक	मूल बजट प्राविधान	पूर्व में आवंटित धनराशि	अवमुक्त हेतु प्रस्तावित धनराशि
1	2	3	4	5
1	2700–मुख्य सिंचाई 001–निदेशन एवं प्रशासन 04–कार्यकारी अधिष्ठान			
2	04–यात्रा व्यय	120602 (वित्त विभाग के शासनादेश सं0–22/ XXVII(2) /2010, दि0–26.08.2010 के द्वारा ₹ 100.00 लाख की राशि व्यय हेतु उपर्युक्त मानते हुए शेष धनराशि/प्राविधान ₹ 1110.00 लाख फ्रीज किये गये है।)	60.00	10.00
3	05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	12.00	8.00	4.00
4	27–चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	80.00	60.00	20.00
5	44–प्रशिक्षण व्यय	8.00	5.00	2.00
	योग		133.00	36.00

(₹ छत्तीस लाख मात्र)

(एस0एस0 टोलिया)
अनु सचिव।

–2–

संख्या–2455(1)/ ।।–2010–03(02)/10 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, सिंचाई मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. अविशासी निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमायू मण्डल नैनीताल।
5. समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. वित्त विभाग (वित्त अनुभाग–2), उत्तराखण्ड शासन।
8. गार्ड फाईल।

संलग्न : यथोक्त।

आज्ञा से,

(एस0 एस0 टोलिया)
अनु सचिव।